राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
(पंचायती राज)

क्रमांकः– एफ 186(52)परावि/लेखा/निरी.–1/लेखा प. प्रति/16–17/आश्वासन/2026 जयपुर, दिनांकः– 7–9–21

आदेश

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 2.5.11 ''स्थायी सम्पत्तियों के अभिलेखों के संधारण का अभाव'' के संबंध में राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति) द्वारा दिनांक 06.08.2021 को लिये गये विभागीय साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

''प्रायः यह देखा गया है कि अधिकांश संस्थाओ द्वारा भूमि, भवन एवं अन्य संपतियों की निधारित पंजिका संधारित नहीं की जा रही हैं। पंजिका संधारण के अभाव में संपतियों के खुर्द–बुर्द होने की संभावना बनी रहती ही हैं, साथ ही इनकी पर्याप्त सुरक्षा व उचित अनुरक्षण की व्यवस्था भी सुनिशिचित नहीं की जा सकती हैं। समुचित संधारण व भोतिक निरीक्षण का अभाव भी रहता है। पंचायत समितियां दुकाने अपने निजी लोगो को आंवटित कर देती हैं। इस प्रकार की गड़बडी/लापरवाही ध्यान मे आते ही एक कमेटी बनाकर आवश्यक कार्यवाही करे।''

अतः उक्त के कम मे मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

– Sd –
(मंजू राजपाल)
शासन सचिव

क्रमांकः– एफ 186( )परावि/लेखा/निरी.–1/एलएफएडी प्रति. 11–12/जलेसे/2026 जयपुर, दिनांकः– 7–9–21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, राजस्थान।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, उपनिदेशक कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार